न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर आर०ए०एस०

रसद मामला संख्या–73 / 2022

प्रार्थी		अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर	बनाम	1 पूर्णमल शर्मा पुत्र रामचन्द निवासी वार्ड नम्बर 33 मेडतासिटी

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिवचंद पारीक

निर्णय

दिनांक –23.07.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यवसायिक के 04 गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 12.01.2023 अधिवक्ता श्री शिवचंद पारीक उपस्थित हुए।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.12.2022 को श्री पूरणकुमार उपखण्ड अधिकारी मेडता के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, मेडता द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम बाबत वार्ड नम्बर 33 मेडतासिटी स्थित श्री पूर्णमल शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा के घर पर आकस्मिक जांच की गई, वक्त जांच मौके पर श्रीमति मुन्नीदेवी शर्मा पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र उपस्थित मिली। घर के मुख्य दरवाजे के पास स्थित तहखाने का श्रीमति मुन्नीदेवी को कहने पर निरीक्षण करवाया गया। तहखाने के अन्दर घरेलू गैस सिलेण्डर के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यवसायिक के 04 गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर जुडा हुआ पाया गया। श्रीमति मुन्नीदेवी से घरेलू गैस एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास गैस के भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेजें व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्रीमति मुन्नीदेवी शर्मा द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर मकान में भण्डारित घरेलू गैस सिलेण्डर के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यवसायिक के 04 गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

.सं.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. नं.	गैस वजन
1	इण्डेन गैस	2584765	14.200 किग्रा
2	बीपीसी	376885-Y	14.200 किग्रा
3	इण्डेन गैस	507196-S	14.200 किग्रा
4	इण्डेन गैस	167369-S	14.200 किग्रा
5	इण्डेन गैस	950355	14.200 किग्रा
6	इण्डेन गैस	072561-J	14.200 किग्रा
7	इण्डेन गैस	933075-S	14.200 किग्रा
8	भारत गैस	631516-S	14.200 किग्रा
9	भारत गैस	422379	14.200 किग्रा
10	भारत गैस	COM-867444-E	14.200 किग्रा
11	भारत गैस	COM-166213-M	खाली
12	भारत गैस	COM-82267-M	खाली
13	इण्डेन गैस	COM-097179-J	खाली

23/7/24

अपर कलक्टर नागौर

उपरोक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यवसायिक के 04 गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स मैसर्स चारभुजा भारत गैस, मेडता के प्रतिनिधि श्री राजपालसिंह की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री श्री पूर्णमल शर्मा का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार घरेलू गैस सिलेण्डर के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यवसायिक के 04 गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

2. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र प्रवर्तन अधिकारी ने सरासर गलत बना कर पेश किया है हस्तगत प्रकरण से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थी मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति है उसके विरूद्व बिना आधार के ऐसा परिवाद बनाने से उसकी बेइज्जती हुई है। कथित कोई सिलेण्डर जब्त करना बताया गया है तो वे न तो उक्त परिसर से बरामद हुए है न अप्रार्थी के कब्जे से कोई बरामदगी हुई है न अप्रार्थी का कोई सरोकार ही है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 17.12.2022 को श्री पूरणकुमार उपखण्ड अधिकारी मेडता के नेतृत्व में श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, मेडता द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर घरेलू गैस सिलेण्डर के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर व व्यवसायिक के 04 गैस सिलेण्डर व एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्रीमति मुन्नीदेवी शर्मा पुत्री रामचन्द्र से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या (1) में वर्णित 13 घरेलू गैस सिलेण्डर का मय गैस तथा एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 13 घरेलू गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस तथा तथा एक गैस रिफिलिंग मोटर, 10 फुट पाईप व रेग्यूलेटर का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर 23/7/24
अपर कलक्टर, नागौर